

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नम्बर:-0141-2740837 फ़ैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

क्रमांक:-एफ.4(ई)डी-23/1992/2013/लिंक.नं.3681/अलेसे-III/1787 दिनांक:- 14-06-2019

कार्यालय आदेश

श्री धीरसिंह रैगर, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सर्वजानिक निर्माण विभाग, मालपुरा, टोंक, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 199 दिनांक 04.06.2019 के आवेदन अनुसार माह जुलाई में 2019 में दिनांक 05.07.2019 से 20.07.2019 तक भ्रमण हेतु लंदन (U.K. Schengen Area) जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

- 1 वह अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेगा।
- 2 वह विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व इस विभाग एवं संबंधित कार्यालय को विदेशप्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय टेलीफोन/ फ़ैक्स न.आदि सूचित करेगा।
- 3 विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार नहीं होगी।
- 4 वह विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय/विदेश सेवा गृहण नहीं करेगा।
- 5 वह विदेश यात्रा के दौरान राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
- 6 वह विदेश यात्रा में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेगा।
- 7 उनके द्वारा विदेश से भेजा हुआ त्यागपत्र स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 8 विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा /के माध्यम से कोई व्यय/ विदेश विनिमय नहीं किया जावेगा।
- 9 वह विदेश से लौटकर इस विभाग को सूचित करेगा।
- 10 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की उनके द्वारा पूर्ण पालना की जावगी।
- 11 उक्त स्वीकृति उक्त दिनों के लिए ही मान्य होगी।

(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

क्रमांक:-एफ.4(ई)डी-23/1992/2013/लिंक.नं.3681/अलेसे-III/1787 दिनांक:- 14-06-2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 अधिशाषी अभियन्ता सर्वजानिक निर्माण विभाग, मालपुरा, टोंक, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक पत्र क्रमांक 199 दिनांक 04.06.2019 के क्रम में।
- 2 श्री धीरसिंह रैगर, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सर्वजानिक निर्माण विभाग, मालपुरा, टोंक, राजस्थान।

3. उपनिदेश (एनजी) वेतनरिट अप्लोड हेतु।

(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)